संख्या-1/8/2001--का-4-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 19 मई, 2007

विषयः- सिविल सेवा बोर्ड का गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 के संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आई.ए.एस. एवं पी.सी.एस. सेवाओं के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| (ii) | प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी | सदस्य |
| (iii) | प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक | सदस्य |

(2) आई.पी.एस. एवं पी.पी.एस. सेवाओं के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | प्रमुख सचिव, गृह | अध्यक्ष |
| (ii) | प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी | सदस्य |
| (iii) | पुलिस महानिदेशक | सदस्य |

2. शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।
3. कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

जे.एस.दीपक
सचिव

संख्या-1/8/2001(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव

संख्या-1/8/2001—का-4-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 19 मई, 2007

विषयः- सिविल सेवा बोर्ड का गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 के संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आई.ए.एस. एवं पी.सी.एस. सेवाओं के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| (ii) | प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी | सदस्य |
| (iii) | प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक | सदस्य |

(2) आई.पी.एस. एवं पी.पी.एस. सेवाओं के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | प्रमुख सचिव, गृह | अध्यक्ष |
| (ii) | प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी | सदस्य |
| (iii) | पुलिस महानिदेशक | सदस्य |

2. शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।
3. कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

जे.एस.दीपक
सचिव

संख्या-1/8/2001(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव